7.4.2021

वादिया व प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र वास्ते वाद वादी एवं प्रतिवादीगण जरिये आपसी राजीनामा वाद को खारिज करवाना चाहते हैं पेश किया जो स्वीकार कर पत्रावली आज दिनांक को तलब होकर पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 1 मृतक बचनसिंह के विधिक वारिसान/कायम मुकाम 1/1 लगायत 1/3 की ओर से अधिवक्ता सुनील गहलोत ने वकालतनामा के साथ एक प्रार्थना पत्र वाद बाबत आराजी विभाजन हद्द धारा 53 RTACT का पेश कर निवेदन किया कि वादिनी एवं प्रतिवादीगण के बीच राजीनामा होकर प्रतिवादीगण ने वादिनी से उनके हक हिस्से की आराजी रजि० दस्तावेज से दिनांक 7.5.21 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अब न्यायालय से जारी P/D अनुसार बटवारा नहीं करवाना चाहते हैं तथा वाद की कार्यवाही को जरिये राजीनामा के खारिज करवाना चाहते हैं अतः वाद जरिये राजीनामा खारिज फरमावे।

RTI श्रीकिशन

ईश्वरसिंह

गुलाबकंवर

वादिनी एवं प्रतिवादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा उपस्थित प्रतिवादीगण एवं वादिनी के बीच राजीनामा होकर प्रतिवादीगण 1/1 to 1/3 द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा (विवादित आराजी मेंसे) वादिनी को जरिये रजि० दस्तावेज से बेचान कर दिये जाने से वादग्रस्त भूमि मे कोई हिस्सा प्रतिवादीगण का शेष नहीं रहा है वाद मे जारी P/D मे अग्रिम कार्यवाही को ड्रोप किया जाता है तथा वादिनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जरिये राजीनामा से खारिज करवाने बाबत को स्वीकार वादीनी के वाद को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:40 IST
Reason: SelfAttested